उत्तराखण्ड जैवविविधता बोर्ड
UTTARAKHAND BIODIVERSITY BOARD

UTTARAKHAND BIODIVERSITY BOARD

Quarterly Newsletter | **PRE-WINTER EDITION 2023** | October - December

INSIDE THIS ISSUE

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा अमृत धरोहर रणनीति के अन्तर्गत आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य के ईको डेवलपमेंट क्षेत्र	2
उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड में हर्बल मिशन से सम्बन्धित एक विशेष बैठक आयोजन (19.10.2023)	3
थलकेदार जैव विविधता विरासतीय स्थल सम्बन्धित बैठक का आयोजन (विडियो कांफेर्न्सिंग के माध्यम से) दिनांक 27.10.2023	5
Online training programme for all forest range officers of Uttarakhand Forest Department for revision of People's Biodiversity Register	6
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 24.11.2023 को आयोजित उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के कार्यों की समीक्षा बैठक	6
सिक्योर हिमालय परियोजना के अन्तर्गत औषधीय पौधों की खेती के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने हेतु कार्यशाला का आयोजन	7
सम्मेलन/व्याख्यान/संगोष्ठियां/ कार्यशालाएं	8

उत्तराखण्ड जैवविविधता बोर्ड
UTTARAKHAND BIODIVERSITY BOARD

QUARTERLY NEWSLETTER

PRE-WINTER EDITION 2023
OCTOBER - DECEMBER

"Biodiversity Conservation.... An art of living with nature."

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा अमृत धरोहर रणनीति के अन्तर्गत आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य के ईको डेवलपमेंट क्षेत्र में गठित जैव विविधता प्रबंध समितियों के प्रशिक्षण एवं लोक जैव विविधता पंजिकाओं के निर्माण हेतु क्षमता विकास का आयोजन किया गया ।

दिनाँक 09 से 10 अक्टूबर, 2023 को उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड द्वारा अमृत धरोहर रणनीति के अन्तर्गत आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य के ईकोडेवलपमेंट क्षेत्र के अन्तर्गत कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी की तीन ग्राम पंचायतों क्रमशः कुन्जाग्रान्ट, कुल्हाल एवं ढालीपुर में गठित जैव विविधता प्रबंध समितियों के प्रशिक्षण एवं लोक जैव विविधता पंजिका के निर्माण हेतु क्षमता विकास कार्यशाला आयोजित की गयी।

इस दो दिवसीय कार्यक्रम में ग्राम पंचायत कुन्जाग्रान्ट, कुलहाल (मटक माजरी) एवं ढालीपुर में लगभग 106 ग्राम वासियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

कार्यशाला का शुभारम्भ करते हुए डॉ० अमित सिंह, अनुसन्धान अधिकारी द्वारा कार्यशाला के उद्देश्यों, जैव विविधता प्रबंध समितियों के महत्व एवं उनके कार्यक्षेत्र के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया।

जैव विविधता प्रबंध समिति (BMC) का गठन, कार्यकाल, अधिकार, कर्तव्य तथा लोक जैव विविधता पंजिका के निरूपण पर व्याख्यानः

डॉ० अमित सिंह, अनुसंधान अधिकारी द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विस्तार से बताया गयाः

1. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने हेतु 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया जिनके मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण था।
2. जैव विविधता तथा जनसंख्या के निरंतर बढने से प्राकृतिक संसाधनों पर पड रहे प्रभाव पर चर्चा की गयी।
3. जैविक संसाधनों एवं उनके घटकों का सतत उपयोग।
4. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य स्तरीय जैव विविधता बोर्ड एवं बी.एम.सी. की भूमिका के बारे में बताया गया।
5. बी.एम.सी. के सदस्यों का चयन, भूमिका, उत्तरदायित्व अधिकार और सम्बद्ध पारम्परिक ज्ञान। इसके अतिरिक्त किस प्रकार स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाया जाए इसका भी संक्षिप्त विवरण दिया गया।
6. लोक जैव विविधता पंजिका (पी. बी.आर.) एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी क्षेत्र में पायी जाने वाली जैव विविधता की जानकारी को एकत्रित करता है। यह जानकारी बी.एम.सी. के माध्यम से स्थानीय समुदायों द्वारा संकलित की जाती है, जो अपने क्षेत्र में जैव विविधता के बारे में विस्तृत ज्ञान रखते हैं।

जैव संसाधनों तक पहुंच तथा लाभ का सहभाजन पर प्रस्तुतीकरण:

जैव संसाधनों तक पहुंच तथा लाभ का सहभाजन एक महत्वपूर्ण विषय है। जैव संसाधनों का उपयोग करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उसका उपयोग इस तरीके से किया जाए ताकि भविष्य में भी इसे उपयोग में लाया जा सके।

प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि स्वयं के उपयोग के अलावा अगर कोई कंपनी स्थानीय जैव संसाधनों का उपयोग अपने व्यवसाय के लिए करती है तो उसे Prior Informed Consent

(PIC) अति आवश्यक होता है इसमें राज्य जैव विविधता बोर्ड की अनुमति आवश्यक होती है तथा Mutual Agreement Term (MAT) जोकि कम्पनी तथा बी.एम. सी. के मध्य होता है। इसके उपरान्त पी.बी.आर के निरूपण तथा उसके 31 प्रारूपों के विषय में संक्षिप्त में जानकारी दी गयी। पी.बी.आर. का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के दिशानिर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है।

अन्त में उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सभी प्रतिभागियों को कार्यशाला में उपस्थित होने हेतु आभार प्रकट किया गया साथ ही श्री धीरज कोटनाला, वन दरोगा एवं श्री अजय पंवार, वन वीट अधिकारी, कुल्हाल, विकासनगर, श्री राहुल जोशी, वन वीट अधिकारी, मटक माजरी तथा जे.एस. नौटियल, वन दरोगा, ढालीपुर देहरादून कसहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड में हर्बल मिशन से सम्बन्धित एक विशेष बैठक आयोजन (19.10.2023)

अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2023 को वन मंत्री जी द्वारा घोषणा की गई की हर्बल मिशन के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य में जड़ी–बूटी की खेती के माध्यम से किसानों और जैव विविधता प्रबंधन समितियों की आजीविका को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इस कार्य को बोर्ड को सौंपा जा रहा है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, डॉ. धनन्जय मोहन, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा बताया गया कि इस प्रस्तावित बैठक में हर्बल मिशन के अंतर्गत किए जाने वाले क्रियाकलापों को समस्त हितधारकों के साथ साझा किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्रियाकलापों से संबंधित सभी हितधारकों को सम्मिलित करना है।

परियोजना समन्वयक, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा हर्बल मिशन से सम्बन्धित बैठक के दृष्टिकोण के बारे में निम्न प्रकार उल्लेख कर प्रस्तुति दी गयी:

1. हर्बल मिशन का परिचय।
2. हर्बल मिशन के उद्देश्य।
3. हर्बल मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित वर्ष 0–05 तक के कार्यो का विवरण।
4. बैठक में उपस्थित हितधारकों से हर्बल मिशन के अन्तर्गत अपेक्षाएं।

उत्तराखण्ड में वर्तमान में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत Farmers Production Organization (FPO) को विकसित किया गया है व हर्बल मिशन के अन्तर्गत जिन क्षेत्रों में FPOs कार्य कर रही है, उन क्षेत्रों को मिशन में सम्मिलित किया जा सकता है। बैठक में हितधारकों के साथ विचार–विमर्श कर महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा कर सुझाव एवं निर्णय लिए गए।

सुझावः

1. मध्य ऊंचाई वाले परिदृश्य (Mid Altitude Landscape) में प्रस्तावित जैव विविधता प्रबन्धन समितियों की संख्या को आवश्यकतानुसार बढाया जा सकता है क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य में अधिकतर बी.एम.सी. 1300–2300 मी. elevation रेन्ज के अन्तर्गत आती है।
2. हर्बल मिशन के project document में प्रजातियों की प्रस्तावित सूची को बी.एम.सी. हेतु निर्धारित करने से पूर्व प्रस्तावित क्षेत्र का जमीनी सत्यापन और बी.एम.सी. के साथ परामर्श बैठक करना आवश्यक है।
3. इसके project document में प्रजातियों की प्रस्तावित सूची के market economics का विवरण भी सम्मिलित किया जाए जिससे कि किसानों को कार्य के बारे में भली–भांति सूचित किया जा सकें।
4. हर्बल मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित वर्ष 0 से 05 तक के कार्यो में वर्ष 04 एवं 05 में प्रस्तावित कार्य (Farmers exposure visit and buyers and seller meet) को वर्ष 01 में भी किया जाए।
5. प्रत्येक किसान द्वारा प्रस्तावित खेती के भूमि के कुल क्षेत्रफल को पहले से ही तय न किया जाए जिससे की अधिकांश किसान हर्बल मिशन से जुड सके।
6. प्रत्येक किसान द्वारा प्रस्तावित खेती के भूमि का चयन तीसरे वर्ष में न करते हुए पहले वर्ष में ही किया जाए ताकि प्रस्तावित भूमि को organic certification हेतु पर्याप्त समय निर्धारित हो सके।
7. प्रस्तावित Clusters में Growth Center निर्माण करने के बजाए सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कृषि, उद्यान एवं JICA परियोजना के द्वारा बनाए गए Growth Center को हर्बल मिशन में शामिल किया जा सकता है।
8. हर्बल मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित 32 प्रजातियों का चयन न करते हुए केवल 3 या 4 प्रजातियों का चयन किया जाए व इन प्रजातियों हेतु एक बैठक प्रथम वर्ष में FPOs एवं Potential Buyers के साथ आयोजित की जाए।
9. हर्बल मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रजातियों हेतु सम्बन्धित विभागों जैसे उत्तराखण्ड राज्य औषधीय पादप बोर्ड एवं Center for Aromatic Plant के विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध Subsidy को ध्यान में रखते हुए इसे project document में सम्मिलित किया जाए।
10. प्रस्तावित जड़ी–बूटी के खेती हेतु सम्बन्धित जैव विविधता प्रबन्धन समितियों में मानव वन्यजीव संघर्ष एवं सम्बन्धित क्षेत्र में जंगली जानवरों से खेती के बचाव हेतु एक बैठक आयोजित की जाए।
11. वन विभाग के अनुसंधान वृत्त के अन्तर्गत के औषधीय पौधों की नर्सरी को हर्बल मिशन के project document में सम्मिलित किया जाए।
12. हर्बल मिशन के अन्तर्गत जैव विविधता प्रबन्धन समितियों के awareness material के निरूपण हेतु वन विभाग के अनुसंधान वृत्त, उत्तराखण्ड राज्य औषधीय पादप बोर्ड, Center for Aromatic Plant एवं जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान से सम्पर्क किया जाए।

निर्णयः

1. कृषि एवं उद्यान जैसे विभागों के वर्तमान में सरकारी योजनाएं सक्रिय है, जिन्हें जहां भी सम्भव हो हर्बल मिशन में एकीकृत करने हेतु उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड को सम्बन्धित विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं को साझा किया जायेगा।
2. हर्बल मिशन परियोजना के कार्यान्वयन के समय जैव विविधता प्रबन्धन समितियों के लोक जैव विविधता पंजिका में सम्मिलित पारम्परिक ज्ञान को update किया जाना एक महत्वपूर्ण कार्य है।
3. Farmers Production Organization (FPO) एवं Growth Center की सूची Industry department, (DIC) एवं JICA परियोजना से लिया जाए।

थलकेदार जैव विविधता विरासतीय स्थल सम्बन्धित बैठक का आयोजन (विडियो कांफेन्सिंग के माध्यम से) दिनांक 27.10.2023

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा जैव विविधता विरासतीय स्थल सम्बन्धित बैठक का आयोजन विडियो कांफेन्सिंग के माध्यम से किया गया जिसकी अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. धनन्जय मोहन द्वारा की गयी। महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि थलकेदार जैव विविधता विरासतीय स्थल के कार्य प्रगति पर है। उत्तराखण्ड शासन को Preliminary Notification of Thalkedar Biodiversity Heritage Site हेतु दस्तावेज प्रेषित कराने से पूर्व थलकेदार जैव विविधता विरासतीय स्थल क्षेत्र की सीमाओं का सटीक सीमांकन सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। अतः इस सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्र के जैव विविधता प्रबन्धन समितियों, वन पंचायतो एवं पिथौरागढ़ वन विभाग के अधिकारियों के साथ यह बैठक की गयी जिसमें थलकेदार की जैव विविधता, उसके संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों तथा स्थल को जैव विविधता विरासतीय स्थल के रूप में विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यो पर चर्चा की गयी ।

परियोजना समन्वयक, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा थलकेदार जैव विविधता विरासतीय स्थल से सम्बन्धित बैठक के दृष्टिकोण के बारे में उल्लेख कर प्रस्तुति दी गयीः

1. थलकेदार जैव विविधता विरासतीय स्थल का परिचय।
2. थलकेदार जैव विविधता विरासतीय स्थल को घोषित किये जाने के उद्देश्य।
3. प्रस्तावित क्षेत्र में अब तक किये गये कार्यो का विवरण।
4. बैठक में उपस्थित जैव विविधता प्रबन्धन समितियों (बी.एम.सी.) वन पंचायतो एवं पिथौरागढ़ वन प्रभाग के अधिकारियों से अपेक्षाएं।

बैठक में हितधारकों के साथ विचार – विमर्श कर निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गयी, निर्णय एवं सुझाव पर सहमति दी गयी।

सुझावः

1. स्थानीय निकायों को प्रस्तावित जैव विविधता विरासतीय स्थल के सम्बन्ध में वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक सहायता उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड से उपलब्ध कराया जाना।
2. बी.एम.सी. के पुर्नगठन के उपरान्त, थलकेदार जैव विविधता विरासतीय स्थल हेतु बोर्ड द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर आयोजित किया जाना।

निर्णयः

1. थलकेदार जैव विविधता विरासतीय स्थल (बी.एच.एस.) से लगी हुई विभिन्न वन पंचायतों (तोली, बडावे, भिलोत, पत्थरखानी, लोदगाढ, देवदार) को बी.एच.एस. में सम्मिलित करना। प्रस्तावित बी.एच.एस. के प्रबन्धन में बी.एम.सी. तथा सम्बन्धित वन पंचायतों के सदस्यों के सहमति पत्र हेतु बी.एम.सी. स्तर पर बैठक कर कार्यवृत्त तैयार कर उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड को दिनांक 15.11.2023 तक प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ द्वारा प्रेषित कराने का निर्णय लिया गया।
2. प्रस्तावित थलकेदार जैव विविधता विरासतीय स्थल में वन पंचायतों को शामिल किये जाने से सम्बन्धित बी.एम.सी. को होने वाले लाभ व प्रबन्धन में स्थानीय समुदाय की भूमिका के सम्बन्ध में विवरण तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ को प्रेषित कराया जाए।
3. ग्राम पंचायत स्तर पर बी.एम.सी. के पुर्नगठन हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ, वन प्रभाग पिथौरागढ द्वारा आवश्यक कार्यवाही दिनांक 15.11.2023 तक सम्पादित की जायेगी।
4. बोर्ड को प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ, वन प्रभाग, पिथौरागढ द्वारा 15.11.2023 तक प्रस्तुत की जाने वाली जैव विविधता विरासतीय स्थल प्रबंधन समिति (BHS Management Committee) की विस्तृत जानकारी, सदस्यों की सूची, और बैंक खाते आदि की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

Online training programme for all forest range officers of Uttarakhand Forest Department for revision of People's Biodiversity Register

In the review meeting held by Honorable Forest Minister, Uttarakhand Govt. on September 12, 2023, directions were given to seek assistance from the Uttarakhand Forest Department for the re-evaluation of the People's Biodiversity Registers (PBR). In this context, the Uttarakhand Biodiversity Board has organized a online training program from November 16, 2023 to December 15, 2023. A total no. of 12 training sessions have been conducted, including all forest officials of the Uttarakhand Forest Department. In this training program, Chairman and Members Secretary, Uttarakhand Biodiversity Board, have trained participants to gather necessary information for the re-evaluation of the People's Biodiversity Register and ensure the completion of the work within the specified time frame.

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 24.11.2023 को आयोजित उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के कार्यों की समीक्षा बैठक

अध्यक्ष महोदय, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को बोर्ड के कार्य–कलापों एवं विभिन्न कार्यो की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया जिस पर निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः

1. इस समय परिचालित जैव विविधता बोर्ड का पुर्नगठन का प्रस्ताव, जैव विविधता अधिनियम संशोधन, 2023 एवं ततक्रम में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के पश्चात शासन को प्रेषित किया जायेगा जिसके अनुसार बोर्ड के पदेन सदस्यों की संख्याः 05 से बढाकर 07 हो जायेगी।
2. जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, 2002 की धारा–23 के अनुसार बोर्ड के प्रमुख कार्यो पर चर्चा की गयी। इसमें मुख्यतः 7991 लोक जैव विविधता पंजिका (पी.बी.आर.) अद्यतनीकरण के कार्यो को वन विभाग के सहयोग से शीघ्र पूर्ण किया जाये तथा पी०बी०आर० को बोर्ड की वैबसाईट में ऑनलाईन की जाये।
3. Access and Benefit Sharing (ABS) के अन्तर्गत बोर्ड में उपलब्ध रु० 10.97 करोड धनराशि को जैव विविधता प्रबन्ध समितियों (बी.एम.सी.) को जैव विविधता अधिनियम संशोधन, 2023 के क्रम में आवंटित करने की प्रक्रिया को शीघ्रता से प्रारम्भ किया जाये।
4. जनपद देहरादून में एक मॉडल बी.एम. सी. तैयार किया जाये जिससे प्रदेश के अन्य बी.एम.सी. प्रेरित हो सके एवं उनके द्वारा जैव विविधता अधिनियम, संशोधित 2023 में दिये गये विभिन्न प्राविधानों जैसे पी.बी.आर. एवं (ABS) का सफल क्रियान्वयन किया जा सके।
5. उत्तराखण्ड के एकमात्र रामसर साईट, आसन कन्जर्वेशन रिजर्व को पर्यटन की दृष्टि से बढाने हेतु प्रमुख सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाये।
6. बोर्ड द्वारा हर्बल मिशन का पंचवर्षीय प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसकी लागत रु० 10.05 करोड है। प्रस्ताव को वित्तीय सहायता हेतु शासन को प्रेषित किया गया है जिस पर आवश्यक अनुमोदन हेतु कार्यवाही की जाये।
7. बोर्ड द्वारा देहरादूनी बासमती पर अध्ययन कराया गया जिसकी रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष के आधार पर भावी रणनीति बनाने हेतु दिसम्बर, 2023 में हितधारकों के साथ बोर्ड के द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है।

सिक्योर हिमालय परियोजना के अन्तर्गत औषधीय पौधों की खेती के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने हेतु कार्यशाला का आयोजन

सिक्योर हिमालय परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा दिसम्बर माह 2023 में किसानों को सशक्त बनाने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य परियोजना परिक्षेत्र – गंगोत्री एवं गोविंद वन्यजीव विहार के जैव विविधता को संरक्षित करते हुए सतत विकास को बढ़ावा देना है। परियोजना के उद्देश्य के रूप में औषधीय पौधों की खेती को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है, जो भविष्य में स्थानीय समुदायों और जैव विविधता प्रबंधन समितियों के समग्र कल्याण में योगदान देंगे। गंगोत्री एवं गोविंद वन्यजीव विहार में लाभार्थियों को औषधीय पौधे जैसे की *Aconitum heterophyllum* (अतीस) *Saussurea costus* (कूट) के बीज उपलब्ध कराये गये।

माह जून 2023 में, गंगोत्री एवं गोविंद परिक्षेत्र में 08 जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बी.एम.सी.) के 35 लाभार्थियों को औषधीय पौधों की खेती पर 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर, चमोली में कराया गया। प्रत्येक जैव विविधता प्रबन्धन समिति से 05 लाभार्थियों का चयन किया गया जिसमें हर लाभार्थी को 5 नाली के कुल भूमि क्षेत्र पर खेती करने हेतु मूल्यवान औषधीय पौधों के बीज प्राप्त हुए। परियोजना के अन्तर्गत लाभार्थियों द्वारा किये जाने वाले

औषधीय पौधों की खेती कुल 200 नाली (4 हेक्टेयर) भूमि क्षेत्र पर प्रस्तावित है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को भरसार विश्वविद्यालय, पौडी गढ़वाल के सहायक प्रोफेसर डॉ. राजेंद्र चौहान, उत्तरा रिसोर्स डेवलपमेंट सोसाइटी, देहरादून के सचिव श्री आशुतोष पोखरियाल से औषधीय पौधों की खेती के बारे में जानने का अवसर मिला जिसमे 08 जैव विविधता प्रबन्धन समितियों के क्षेत्र का भ्रमण कर सम्बन्धित बीज उपलब्ध कराने के कार्य कु० दीपिका क्षेत्री, परियोजना समन्वयक, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा संचालित किया गया।

डॉ. चौहान ने Field Demonstration के माध्यम से प्रत्येक बी.एम.सी. में अधिकतम उपज हेतु औषधीय पौधों की खेती पर अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया और श्री पोखरियाल द्वारा औषधीय पौधों से सम्बन्धित मार्केट चेन पर जानकारी प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त, उत्तरकाशी जिले में स्थित जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान के मास्टर ट्रेनर द्वारा औषधीय पौधों की खेती के क्षेत्रों का विवरण दर्ज किया गया। यह जानकारी औषधीय पौधों की खेती के लिए समर्पित भूमि के पंजीकरण, उचित दस्तावेजीकरण और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

औषधीय पौधों की खेती से सम्बंधित कार्य न केवल स्थानीय किसानों को मूल्यवान कौशल और संसाधनों के साथ सशक्त बनाते है, बल्कि सिक्योर हिमालय परियोजना के लक्ष्यों के साथ भी संरेखित होते है। औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करके, उच्च हिमालय क्षेत्र की जैव विविधता प्रबन्धन समितियों को जैव विविधता संरक्षण व इसके सतत् उपयोग एवं समुदाय की आजीविका में सुधार हेतु योगदान सुनिश्चित किया जा सकता है जो कि भविष्य में दुर्गम क्षेत्र के किसानो को आत्मनिर्भर बनाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास होगा।

सम्मेलन/व्याख्यान/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं

दिनाँक 26–28 अक्टूबर, 2023 को वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका शीर्षक "Exhibition in connection with Country led Initiative (CLI) meeting in support of United Nations Forum on Forests (UNFF) and MoEFCC, Govt. of India" था जिसमें उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की ओर से अध्यक्ष डा. धनन्जय मोहन द्वारा कार्यशाला में प्रतिभाग किया गया। कार्यशाला में विश्व के विभिन्न संस्थानों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से माननीय मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारीगणों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई द्वारा दिनाँक 28–29 नवंबर, 2023 को नई दिल्ली में दो दिवसीय कार्यशाला (National Consultation Meeting on the Updation of National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP) and Adoption of National Biodiversity Targets (NBTs) in alignment with the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF) at New Delhi) का आयोजन किया गया जिसमें उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की ओर से अध्यक्ष डा. धनन्जय मोहन एवं सदस्य सचिव, श्री रंजन मिश्र द्वारा प्रतिभाग किया गया।

अध्यक्ष डा. धनन्जय मोहन द्वारा दिनाँक 31.10.2023, 01.11.2023 व 03.11. 2023 को क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कर्नाटका जैव विविधता बोर्ड का दौरा किया गया जिसमें बोर्ड अधिकारियों के साथ जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर विचार विमर्श, पहुँच एवं लाभ के सहभाजन (ABS) के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी तथा जैव विविधता विरासतीय स्थलों का भ्रमण कर महत्वपूर्ण जानकारियों का आदान–प्रदान किया गया।

Guidance
Dr. Dhananjai Mohan, IFS, Chairman

Direction
Shri R.K. Mishra, IFS, Member Secretary

Photo credits
Uttarakhand Biodiversity Board

Contribution
All Board Staff

Designed & Published by
Uttarakhand Biodiversity Board, Dehradun

उत्तराखण्ड जैवविविधता बोर्ड
UTTARAKHAND BIODIVERSITY BOARD

UTTARAKHAND BIODIVERSITY BOARD
423, Indira Nagar Colony, Dehradun-248006
Contact no.: 91-135-2769886 ✸ Email: sbboard-uk@gov.in ✸ Website: www.sbb.uk.gov.in